संख्या : 31 / XXIV(6)/2011

प्रेषक,

वेदीराम,
अनु सचिव,
उत्तराखण्ड शासन ।

सेवा में,

कुल सचिव/वित्त अधिकारी,
कुमायूं विश्वविद्यालय,नैनीताल ।

शिक्षा अनुभाग–6 देहरादून दिनॉक : 09 मार्च, 2011

विषय : विश्वविद्यालय के सोबन सिंह जीना परिसर अल्मोड़ा में निर्माणाधीन श्रेणी–1 तथा श्रेणी–2 के 8–8 आवासों के पुनरीक्षित आंगणन के सापेक्ष धनराशि अवमुक्त किए जाने के सम्बन्ध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रॉक : केयू/भवन–286/2010/888 दिनॉक 17,मई–2010 एवं पत्र संख्या : केयू/भवन–286/2010/1035 दिनांक 27,दिसम्बर 2010 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि विश्वविद्यालय के सोबन सिंह जीना परिसर अल्मोड़ा में निर्माणाधीन श्रेणी–1 तथा श्रेणी–2 के आठ–आठ आवासों के निर्माण हेतु पूर्व में शासनादेश संख्या : 227/xxiv(6)/2007 दिनांक 24,मार्च–2007 द्वारा उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लि0 अल्मोड़ा द्वारा गठित आगणन रु0 70.85 लाख की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए वित्तीय वर्ष 2007–08 में शासनादेश संख्या : 227/xxiv(6)/2007 दिनांक 23,अक्टूबर–2007 द्वारा प्रथम किश्त के रूप में ₹ 50 लाख की धनराशि अवमुक्त की गयी थी, तदोपरान्त वित्तीय वर्ष 2008–09 में शासनादेश संख्या : 55/xxiv(6)/2009 दिनांक 04,फरवरी–2009 द्वारा अवशेष समस्त धनराशि ₹ 20.85 लाख विश्वविद्यालय को अवमुक्त किए जा चुके हैं । विश्वविद्यालय द्वारा प्रश्नगत् निर्माण कार्य का पुनरीक्षित आंगणन रूपये 108.18 लाख का स्वीकृति हेतु शासन को उपलब्ध कराया । इस पुनरीक्षित आंगणन का टी0ए0सी0 द्वारा परीक्षणोपरान्त ₹ 78.35 लाख ही संस्तुत किये गये, इस प्रकार ₹ 78.35 लाख के सापेक्ष पूर्व में उक्तानुसार स्वीकृत धनराशि ₹ 70.85 लाख को कम करने के उपरान्त अवशेष धनराशि ₹ 07.50 लाख को आवासीय भवनों के निर्माण कार्यो को पूर्ण करने के उद्देश्य से **आलोच्य वित्तीय वर्ष 2010–11 में अंतिम किश्त के रूप में अवशेष समस्त धनराशि ₹ 07,50,000.00 (रूपये सात लाख पचास हजार मात्र)** को व्यय किए जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

2. उक्त स्वीकृत धनराशि का आहरण, यदि पूर्व में ही आहरण न कर लिया गया हो, कोषागार, नैनीताल से जिला शिक्षा अधिकारी नैनीताल के प्रतिहस्ताक्षर करने के उपरान्त किया जायेगा । तत्पश्चात् नियमानुसार धनराशि निर्माण एजेन्सी को उपलब्ध करायी जायेगी ।

3. विश्वविद्यालय द्वारा स्वीकृत की गयी धनराशि का शीघ्रातिशीघ्र उपभोग सुनिश्चित कराते हुए कार्यदायी संस्था को कार्य की प्रगति में समुचित तेजी लाये जाने हेतु भी निर्देशित किया जाय, जिससे

कार्य इसी वित्तीय वर्ष में निर्धारित समय में पूर्ण हो सके । **भवन की लागत का पुनरीक्षण किसी भी दशा में नहीं किया जायेगा।** अतिरिक्त अनुदान की प्रत्याशा में धनराशि का व्यय नहीं किया जायेगा तथा समय–समय पर निर्गत वित्तीय एवं मितव्ययता सम्बन्धी नियमों एवं दिशा निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

4– शासनादेश संख्या : 227/xxiv(6)/2007 दिनांक 23,अक्टूबर–2007 में उल्लिखित् शर्ते यथावत् लागू रहेंगी ।

5– प्रश्नगत् निर्माण कार्यो को पूर्ण करने हेतु अवशेष सम्पूर्ण धनराशि अवमुक्त की जा रही है, विश्वविद्यालय निर्धारित समयान्तर्गत सभी औपचारिकताएं पूर्ण करते हुए भवन का नियमानुसार कब्जा प्राप्त करना सुनिश्चित करें । साथ ही सम्पूर्ण निर्माण में व्यय का लेखा प्रस्तुत करते हुए अवशेष राशि, यदि कोई हो, को तत्काल समर्पित किया जाये ।

6– कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता हेतु सम्बन्धित निर्माण एजेन्सी पूर्ण रुप से उत्तरदायी मानी जायेगी।

7– व्यय उन्हीं कार्यो एवं योजनाओं पर किया जायेगा जिसके लिए यह स्वीकृत की जा रही है। किसी भी दशा में भवन का पुनरीक्षित आंगणन स्वीकृत नहीं किया जाएगा ।

8. इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2010–2011 के आय–व्ययक की अनुदान संख्या–11 के अधीन लेखा शीर्षक–2202 सामान्य शिक्षा, आयोजनागत–03–विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा, 102–विश्वविद्यालयों को सहायता, 03 कुमायूं विश्वविद्यालय– 00 – 20–सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता के नामें डाला जायेगा।

9. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या : 216 (पी)/ XXVII(3)/ 2010–11 दिनॉक 07,मार्च–2011 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय

(वेदीराम)
अनु सचिव।

संख्या : 11 (1)XXIV(6)/2011 तद्दिनॉक ।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

(1) महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
(2) आयुक्त कुमायूं मण्डल,नैनीताल।
(3) जिलाधिकारी,नैनीताल।
(4) वरिष्ठ कोषाधिकारी, नैनीताल।

(5) जिला शिक्षा अधिकारी, नैनीताल।
(6) निदेशक,एन0आई0सी0,सचिवालय परिसर ।
(7) निजी सचिव, मा0मुख्यमन्त्री, उत्तराखण्ड शासन ।
(8) परियोजना प्रबन्धक, उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लि0 अल्मोड़ा ।
(9) वित्त अनु–3,/नियोजन अनुभाग,उत्तराखण्ड शासन।
(10) बजट राजकोषीय,नियोजन एवं संसाधन,सचिवालय,देहरादून।
(11) विभागीय आदेश पुस्तिका।

आज्ञा से,

(वेदीराम)
अनु सचिव ।